ड्राफ्ट

अर्द्ध शास.पत्र क्र.456/वि- /2012

डॉ.अरूणा शर्मा
प्रमुख सचिव

दूरभाष कार्या.: (0755) 2551114
फैक्स : (0755) 4093625

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक न्याय विभाग

दिनांक : 07 / 07 / 2012

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम शासन की महत्वाकांक्षी योजना है एवं स्कीम के संचालन में स्कीम का वित्तीय प्रबंधन एवं ऑडिट एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इससे आप अवगत हैं।

विभाग में ऑडिट के संबंध में प्रभावी कार्यवाही प्रचलित है। मनरेगा के संदर्भ में पूर्व में जिलों से अनुश्रवण के आधार पर अनुभव रहा है कि कतिपय क्रियान्वयन एजेंसी जैसे ग्राम पंचायत आदि में ऑडिट संबंधी अभिलेख सनदी लेखाकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसी प्रकार लाईन विभागों में भी अभिलेख तत्काल ही उपलब्ध नहीं हो पाता है एवं केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर ऑडिट किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। वस्तुतः समस्त सुसंगत अभिलेखों के आधार पर ऑडिट होना चाहिए।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में वित्त वर्ष 2011–12 के समस्त सुसंगत वित्तीय अभिलेख आदि जो कि ऑडिट में आवश्यक होते हैं, को अभी से तैयार करवा लिए जाएं एवं समस्त ऑडिट अभिलेख ऑडिट हेतु तैयार हैं इस संबंध में पत्र से संलग्न प्रमाण पत्र दिनांक 15 जुलाई 2012 तक मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को उपलब्ध कराया जाए। जिले के समस्त संबंधित कार्यालयों को भी इस संबंध में सूचना दी जाए।

किसी भी सनदी लेखाकार/अन्य लेखाकार से यह शिकायत मिलने पर कि बिना किसी उचित एवं विधि सम्मत कारण के ऑडिट हेतु अभिलेख उनको उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इस कारण ऑडिट में होने वाले विलंब या अन्य वित्तीय विसंगतियों हेतु आपका उत्तरदायित्व माना जाएगा।

भवदीय

(डॉ.अरूणा शर्मा)

प्रति,

श्री .....
कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
जिला .....

प्रमाण–पत्र

––00––

प्रमाणि किया जाता है कि मनरेगा योजना से संबंधी समस्त अभिलेख जो कि सनदी लेखाकार कें ऑडिट कार्य वित्त वर्ष 2011–12 हेतु आवश्यक है पूर्ण करा लिया गया है एव ऑडिट कराने की पूर्ण तैयारी है। इस संबंध में कोई भी अवरोध नही है तथा ऑडिट कार्य आरम्भ होने पर रिकार्ड अनुपलब्धता के बिन्दु उपस्थित नहीं होगें। समस्त संबंधित कार्यालयो को भी सूचित कर दिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

कलेक्टर